# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**राकेश कुमार मीना आर.ए.एस**,उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

**अनुवान**

**दयाराम वगैरा बनाम प्रहलाद वगैरा**

राजस्व वाद : खाता तकसीम व इस्तकरार हक

**नम्बर मुकदमा —** **233 / 2022**

**निर्णय दिनांकः—**

| | | |
|---|---|---|
| 1 दयाराम<br>2 मदनलाल<br>3 रामकुमार | पि. कलावती पत्नी सुखराम | जाति मेघवंशी सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ |

**— वादीगण**

## बनाम

1 प्रहलाद पुत्र कलावती पत्नी सुखराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

2 कृष्णा पुत्री कलावती पत्नी सुखराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

3 मन्जू पुत्री कलावती पत्नी सुखराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

4 आईदान पुत्र मोटराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

5 कृष्ण पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

6 गुरबचन सिह पुत्र राजाराम जाति तरखान सा. नगराना तह. संगरिया

7 चोथूराम पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

8 झुमी पुत्री चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

9 तखी पत्नी चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

10 धर्मवीर पुत्र कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

10/1 करण पुत्र धर्मवीर पुत्र कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

11 तुलछाराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

11/1 चिमनलाल पुत्र तुलछाराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवं[illegible] संगरिया जिला हनुमानगढ

12 देवीलाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संग[illegible] हनुमानगढ

13 धर्मवीर पुत्र कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संग[illegible] (फौत नाम कलमजन)

14 पतराम पुत्र धोंकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

14/1 नदप्रकाश पुत्र पतराम पुत्र धोंकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 15:03:1
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

15 पृथ्वीराम पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
16 प्रभुराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
17 धोकर पुत्र कुम्भा जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)
17 1 नत्थूराम पुत्र धोकर पुत्र कुम्भा जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
18 बलवन्ती देवी पत्नी कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
19 भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)
19 1 विनोद पुत्र भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
19 2 भजनलाल पुत्र भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
19 3 तेजपाल पुत्र भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
20 रूपराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)
20 1 बलराम पुत्र रूपराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
21 रिछपाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)
21 1 गोवर्धन पुत्र रिछपाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
21 2 सोनू पुत्र रिछपाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
22 विक्रम सिह उर्फ बिकर सिह पुत्र राजाराम जाति तरखान सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
23 शान्ती पुत्री चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
24 साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
25 हरीराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत नाम कलमजन)
26 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rake
Meena
Date: 2024.05.21 16:03
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू –अधिवक्ता वादीगण
हरविन्द्र गर्ग – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3

## निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथय निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 की माता कलावती पत्नी सुखराम के नाम चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 38/33 खाता आईदान वगैरा ज.स. 2072–75 मे 1.708 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। कलावती पत्नी सुखराम फौत हो गयी है।जिनके जायज वारिस वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 ही है। प्रति स. 2 व 3 ने कलावती पत्नी सुखराम से प्राप्त अपना विरास्तन हक व हिस्सा वादीगण व प्रति स. 1 के पक्ष में ब.हि.ब. के हिसाब से परित्याग कर दिया है। अतः दावा की दफा 3 में दर्ज कलावती पत्नी सुखराम के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिकी वादीगण व प्रति स. 1 प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स. 1 ने सांझा खाते के सहहिस्सेदारो के साथ घरू बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादीगण व प्रति स 1 के हिस्सा में निम्नानुसार आराजी आई है:–

**वादीगण दयाराम–मदनलाल–रामकुमार पि. कलावती पत्नी सुखराम व प्रति स. 1 प्रहलाद पुत्र कलावती पत्नी सुखराम का कब्जा:–**

चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 38/33

| | | |
|---|---|---|
| 168/220 | 24 | 24/.253 = 0.253है0 |
| 168/220 | 44 | 4/1/.228 4/2/.025 7/.253 14/.253 17/.253 = 1.012 है. |
| 168/222 | 49 | 7/.012 8/2/.178 9/.253 = 0.443 |
| | | कुल 1.708 है0 आराजी |

वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चले आ रहे है।कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण कें नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है । इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 3 मे दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से साफ इंकार हो गये । बस यही विनाय दावा है।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 5, 7 ता 9, 1./1, 12, 14/1, 15, 16, 18, 19/1 ता 19/3, 21/1, 21/2, 22 ता 24 की तलबी जरिये साधारण सम्मन होने पर इनके हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रति स. 4, 6, 10/1, 11/1, 17/1, 20/1 की तलबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.05.21 15:03:17 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. व समाचार पत्र से होने पर इनके हाजिरअदालत नही आने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रति स. 1 ता 3 की ओर से श्री हरविन्द्र गर्ग ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2)सी.पी.सी. पेश किया कि दावा शिर्षक में प्रति स. 13 का नाम दो बार दर्ज किया गया है।व प्रति स. 25 का वारिसान उक्त वाद में पुर्व मे ही पक्षकार है। इसलिए प्रति स. 13 व 25 का नाम दावा शिर्षक से कलमजन किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की। वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।प्रति स. 26 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी स. 3 रामकुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रशनगत भुमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जाकाश्त की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक प्रा.डिकी/भू.अ./023/4375 दिनांक 23–12–2023 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है। प्रति स. 1 ता 3 का सहमति का जवाब दावा पेश है।वादीगण व प्रतिवादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण क वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 38/33 खाता आईदान वगैरा ज.स. 2072–75 में साझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 38/33 खाता आईदान वगैरा ज.स. 2072–75 एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रशनगत आराजी पर पक्षकारो का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते चले रहे है। वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 38/33 खाता आईदान वगैरा ज.स. 2072–75 में कलावती पत्नी सुखराम के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसमें प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त चक के उक्त खातो मे से कलावती पत्नी सुखराम का नाम कलमजन किया जाकर इनके नाम दर्ज आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रति स. 1 के नाम ब.हि.ब. क[illegible] व तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वी[illegible] जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

**चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 38/33 में कुल रकबा 9.526 है में मौके पर [illegible] काश्त की भूमिः–**

1 दयाराम, मदनलाल, रामकुमार, प्रहलाद पुत्र कलावती पत्नी सुखराम [illegible] सा. नगराना प.न. 168/220 मु.न. 24 किला नं. 24/0.253 है प.न. 168/221 मु.न. 44 किला नं. 4/1/0.228 हैं 4/2/0.025 हैं गै.मु खाला 7,14,17/0.253 है प्र प.न. 168/222 मु.न. 49 किला नं. 8/2/0.178 हैं 9/0.253 हैं कुल रकबा 1.696 हैं नहरी मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kur
Meena
Date: 2024.05.21 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना पं.न. 169/220 मु.न. 23 किला नं. 20/127 है मु.न. 24 से किला नं. 16 से चिपता 21/0.253 हैं प.न. 169/221 मु.न. 45 किला नं. 1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 गै.मु. खाला 10,11,20,21/0.253 है प्र कुल रकबा 1.645 है नहरी मय गै.मु.

3 भूराराम (फौत) पुत्र चन्दूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना कब्जा वारिसान प.न. 169/220 मु.न. 23 किला नं. 19,23/0.253 हैं प्र प.न. 169/221 मु.न. 45 किला नं. 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 हैं गै.मु. रास्ता 8,13/0.253 है प्र 18/0.228 हैं 23/1/0.063 हैं 23/2/0.063 है कुल रकबा 1.619 हैं नहरी मय गै.मु.

4 धर्मवीर (फौत) पुत्र कालूराम, बलवन्तीदेवी देवी पत्नी कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना कब्जा वारिसान बहिब प.न. 169/220 मु.न. 23 किला नं. 20/0.126 हैं इसी मु.न. के किला नं. 19 से चिपता 22/0.253 हैं प.न. 169/221 मु.न. 45 किला नं. 2/1/0.228 हैं 2/2/0.025 हैं गै.मु. खाला 9,12,19,22/0.253 है प्र कुल रकबा 1.644 हैं नहरी मय गै.मु.

5 विकमसिंह, गुरबचनसिंह पि. राजाराम बहिब जाति तरखान सा. नगराना प.न. 168/220 मु.न. 24 किला नं. 25/0.253 हैं प.न. 168/221 मु.न. 44 किला नं. 5/1/0.228 हैं 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6,15,16,24,25/0.253 हैं प्र प.न. 168/222 मु.न. 49 किला नं. 4/1/0.228 है 4/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 5/1/0.228 है 5/2/ 0.025 हैं गै.मु. रास्ता 7/0.253 हैं प.न. 169/222 मु.न. 48 किला नं. 1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 2/1/0.101 हैं 2/2/0.013 हैं 2/3/0.025 हैं गै.मु. रास्ता कुल रकबा 2.922 है नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिकी/भू.अ./23/4375 दिनांक 23/12/2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः–डिकी के चक 6एन.जी.आर. के कम संख्या 2 ता 5 के सहकाश्तकार अदालतहाजा में न तो स्वंय उपस्थित आये है।न ही इनकी तरफ से इनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। इसलिए इनकी भुमि में रास्ता व खाला आदी की सुविधा दी गई है या नही यह स्पष्ट नही है। अतः इनका खाता संयुक्त रखते हुए शेष का खाता डिकी अनुसार अलग अलग कायम किया जावे व यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ............ को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 3.5.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.05.21 16:03:17 I
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6–7जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया**

**पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)**

राजस्व वाद : इस्तकरारं हक व खाता विभाजन

| | | |
|---|---|---|
| 1 दयाराम<br>2 मदनलाल<br>3 रामकुमार | पि. कलावती पत्नी सुखराम | जाति मेघवंशी सा. नगराना<br>तह. संगरिया जिला हनुमानगढ |

– वादीगण

## बनाम

1 प्रहलाद पुत्र कलावती पत्नी सुखराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

2 कृष्णा पुत्री कलावती पत्नी सुखराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

3 मन्जू पुत्री कलावती पत्नी सुखराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

4 आईदान पुत्र मोटराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

5 कृष्ण पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

6 गुरबचन सिह पुत्र राजाराम जाति तरखान सा. नगराना तह. संगरिया

7 चोथूराम पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

8 झुमी पुत्री चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

9 तखी पत्नी चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

10 धर्मवीर पुत्र कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

10/1 करण पुत्र धर्मवीर पुत्र कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

11 तुलछाराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

11/1 चिमनलाल पुत्र तुलछाराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

12 देवीलाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

13 धर्मवीर पुत्र कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत नाम कलमजन)

14 पतराम पुत्र धोंकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

14/1 वेदप्रकाश पुत्र पतराम पुत्र धोंकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.21 15:03:17 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

15 पृथ्वीराम पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

16 प्रभुराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

17 पोकर पुत्र कुम्भा जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

17/1 नत्थूराम पुत्र पोकर पुत्र कुम्भा जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

18 बलवन्ती देवी पत्नी कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

19 भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

19/1 विनोद पुत्र भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

19/2 भजनलाल पुत्र भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

19/3 तेजपाल पुत्र भुराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

20 रूपराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

20/1 बलराम पुत्र रूपराम पुत्र धोकलराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

21 रिछपाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

21/1 गोवरधन पुत्र रिछपाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

21/2 सोनू पुत्र रिछपाल पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

22 विक्रम सिह उर्फ बिकर सिह पुत्र राजाराम जाति तरखान सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

23 शान्ती पुत्री चेतराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

24 साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

25 हरीराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवंशी सा. नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत नाम कलमजन)

26 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

**प्रतिवादीगण**

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Ver
Digitally signed by Ra
Meena
Date: 2024.05.21 16:0
Reason: SelfAttested

मु.स  233/2022 ,  दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू वादीगण की ओर से श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. व प्रतिस. 1 ता 3 की ओर से हरविन्द्र गर्ग एड. दिया जाता है कि चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 38/33 खाता आईदान वगैरा ज.स. 2072–75 में कलावती पत्नी सुखराम के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसमें प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त चक के उक्त खातो मे से कलावती पत्नी सुखराम का नाम कलमजन किया जाकर इनके नाम दर्ज आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रति स. 1 के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज की जावे व तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :–

चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 38/33 में कुल रकबा 9.526 हैं में मौके पर कब्जा काश्त की भूमिः–

दयाराम, मदनलाल, रामकुमार, प्रहलाद पुत्र कलावती पत्नी सुखराम मेघवंशी सा.. नगराना प.न. 168/220 मु.न. 24 किला नं. 24/0.253 है प.न. 168/221 मु.न. 44 किला नं. 4/1/0.228 हैं 4/2/0.025 हैं गै.मु खाला 7,14,17/0.253 है प्र प.न. 168/222 मु.न. 49 किला नं. 8/2/0.178 हैं 9/0.253 हैं कुल रकबा 1.696 हैं नहरी मय गै.मु.

2 साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवंशी सा. नगराना पं.न. 169/220 मु.न. 23 किला नं. 20/127 है मु.न. 24 से किला नं. 16 से चिपता 21/0.253 हैं प.न. 169/221 मु.न. 45 किला नं. 1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 गै.मु. खाला 10,11,20,21/0.253 है प्र कुल रकबा 1.645 है नहरी मय गै.मु.

3 भूराराम (फौत) पुत्र चन्दूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना कब्जा वारिसान प.न. 169/220 मु.न. 23 किला नं. 19,23/0.253 हैं प्र प.न. 169/221 मु.न. 45 किला नं. 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 हैं गै.मु. रास्ता 8,13/0.253 है प्र 18/0.228 हैं 23/1/0.063 हैं 23/2/0.063 है कुल रकबा 1.619 हैं नहरी मय गै.मु.

4 धर्मवीर (फौत) पुत्र कालूराम, बलवन्तीदेवी देवी पत्नी कालूराम जाति मेघवंशी सा. नगराना कब्जा वारिसान बहिब प.न. 169/220 मु.न. 23 किला नं. 20/0.126 हैं इसी मु.न. के किला नं. 19 से चिपता 22/0.253 हैं प.न. 169/221 मु.न. 45 किला नं. 2/1/0.228 हैं 2/2/0.025 हैं गै.मु. खाला 9,12,19,22/0.253 है प्र कुल रकबा 1.644 हैं नहरी मय गै.मु.

5 विक्रमसिंह, गुरबचनसिंह पि. राजाराम बहिब जाति तरखान सा. नगराना प.न. 168/220 मु.न. 24 किला नं. 25/0.253 हैं प.न. 168/221 मु.न. 44 किला नं. 5/1/0.228 हैं 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6,15,16,24,25/0.253 है प्र प.न. 168/222 मु.न. 49 किला नं. 4/1/0.228 है 4/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 5/1/0.228 हैं 5/2/ 0.025 हैं गै.मु. रास्ता 7/0.253 हैं प.न. 169/222 मु.न. 48 किला नं. 1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 2/1/0.101 हैं 2/2/0.013 हैं 2/3/0.025 हैं गै.मु. रास्ता कुल रकबा 2.922 है नहरी मय गै.मु.

मुख्य ... कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ra
Meena
Date: 2024.05.21 16:0
Reason: SelfAttested

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर सहमतानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक पा.डिक्री भू.अ. /23 /4376 दिनांक 23 /12 /2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। स्वयं पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट– डिक्री के चक 6एन.जी.आर. के क्रम संख्या 2 ता 5 के सहकाश्तकार अदालतहाजा में न तो स्वंय उपस्थित आये है।न ही इनकी तरफ से इनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। इसलिए इनकी भूमि में रास्ता व खाला आदि की सुविधा दी गई है या नही यह स्पष्ट नही है। अतः इनका खाता संयुक्त रखते हुए शेष का खाता डिक्री अनुसार अलग अलग कायम किया जावे व यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज X मुब्लिक X बाबत 10/- खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .................... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 3.5.24 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ra
Meena
Date: 2024.05.21 16:0
Reason: SelfAttested